



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-02012023-241602
CG-RJ-E-02012023-241602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5928]
No. 5928]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

रेल मंत्रालय
(उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण)
अधिसूचना
जयपुर, 23 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6171(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया कि धारा 20'क' के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले में विशेष रेल परियोजना “ बड़ी सादड़ी- नीमच नई बड़ी लाइन रेल परियोजना के निर्माण” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप भूमि अवाप्ति अधिकारी अर्थात् विशेष रेल परियोजना अनुविभागीय अधिकारी नीमच, जिला-नीमच मध्य प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने और ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस सूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची							
भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना बड़ी साद्री-नीमच नई बड़ी लाइन परियोजना के लिए अवसाधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण :-							
संख्या	जिला	तहसील	गाव	भूमि के प्रकार	खसरा सं.	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	699	कृषि	0.0609
2	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	701	आवासीय	0.0487
3	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	772	कृषि	0.0988
4	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	773	कृषि	0.0639
5	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	779	कृषि	0.0772
6	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	786	कृषि	0.0326
7	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	791	कृषि	0.0789
8	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	792	कृषि	0.0109
9	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	793	कृषि	0.0310
10	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	885	कृषि	0.0366
14	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	886	कृषि	0.0321
15	नीमच	नीमच नगर	धनेरिया कलाँ	निजी भूमि	887	कृषि	0.0309
हेक्टेयर में अधिग्रहित किए जाने वाले कुल क्षेत्र=							0.6025
1	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1129	कृषि	1.3851
2	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1131/1	कृषि	0.8647
3	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1131/2	कृषि	0.3019
4	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1131/3	कृषि	0.2101
5	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1131/4	कृषि	0.0126
6	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1137	कृषि	0.1217
7	नीमच	नीमच	दुदरसी	निजी भूमि	1134	कृषि	0.0510
हेक्टेयर में अधिग्रहित किए जाने वाले कुल क्षेत्र=							2.9471

[फा. सं. उपरे/मुख्या स & नि 443599200 भाग-2]

बृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 23rd December, 2022

S.O. 6171(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, Namely: “Badi Sadri-Nimach New line project” in District Nimach in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, Nimach, District Nimach Madhya Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall

give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Bari sadri - Nimach new BG line project., State of Madhya Pradesh.							
Serial Number	District	Name of the Taluka/ Tehsil	Name of the Village	Type of land	Survey Number/ Block Number/ Khasara No.	Nature of Land	Area to be acquired (in Hactare)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	699	Agriculture	0.0609
2	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	701	Residence	0.0487
3	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	772	Agriculture	0.0988
4	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	773	Agriculture	0.0639
5	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	779	Agriculture	0.0772
6	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	786	Agriculture	0.0326
7	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	791	Agriculture	0.0789
8	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	792	Agriculture	0.0109
9	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	793	Agriculture	0.0310
10	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	885	Agriculture	0.0366
14	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	886	Agriculture	0.0321
15	Nimach	Nimach Nagar	DhaneriyaKalan	Private land	887	Agriculture	0.0309
Total area to be acquired in Hectare =							0.6025
1	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1129	Agriculture	1.3851
2	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1131/1	Agriculture	0.8647
3	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1131/2	Agriculture	0.3019
4	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1131/3	Agriculture	0.2101
5	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1131/4	Agriculture	0.0126
6	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1137	Agriculture	0.1217
7	Nimach	Nimach	Dudarsi	Private land	1134	Agriculture	0.0510
Total area to be acquired in Hectare =							2.9471

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol-II]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Const.)